राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–03 / 2001

मनमोहन शर्मा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये मुख्य सचिव, राजस्थान सचिवालय, जयपुर।
2. सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान राज्य, सचिवालय, जयपुर
3. वित्त सचिव, राजस्थान राज्य, सचिवालय, जयपुर।
4. सचिव, शिक्षा विभाग, सचिवालय, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 29.08.2023

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : अनुपस्थित,

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री गौरव सिंह, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य(न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. इस अपील में अपील संख्या 484 / 1995 मन मोहन सिंह के मामले में अधिकरण द्वारा दिनांक 18.03.1999 को अंतिम रूप से आदेश पारित किया गया था। इसके पश्चात प्रत्यर्थी विभाग की ओर से दिनांक 20.03.2001 को रिव्यू प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। उल्लेखनीय है कि इस अपील में मूल अपीलार्थी मनमोहन शर्मा का स्वर्गवास हो गया था, जिसमें विधिक प्रतिनिधि को पक्षकार के रूप में नहीं जोडा गया था। रिव्यू प्रार्थना पत्र में मुख्य रूप से यह आपत्ति दी गयी है कि अपीलार्थी को जो अधिकरण ने अपने आदेश दिनांक 18.03.1999 के जरिये जो लाभ दिया है, उसमें नये नियमों को अनदेखा करते हुए लाभ प्रदान किया गया है। हमारे मत में इस अधिकरण को रिव्यू प्रार्थना पत्र निर्णित करते समय अपील के गुणावगुण पर नहीं जाना होता है। केवल मात्र यह देखना होता है कि Face of Record में क्या कोई त्रुटि हुई है। हम यह पाते है कि मूल अपील निर्णित करते समय Face of Record में त्रुटि नहीं रही है। ऐसे में रिव्यू प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।
2. यह भी उल्लेखनीय है कि अधिकरण को रिव्यू किये जाने का अधिकार संशोधन के पश्चात 2005 में प्राप्त हुआ है। इसके पूर्व में राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिनियम 1976 की धारा 6(5) के अन्तर्गत रिव्यू के आदेश अधिकरण को प्राप्त नहीं थे। इस आधार पर भी रिव्यू याचिका खारिज किये जाने योग्य है।
3. अतः रिव्यू याचिका खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)